इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026–श्रावण–1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7031–116–इक्कीस–अ (प्रा.) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 5 OF 2026

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2026

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic on India as follows:-

Short title. 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

Amendment of Section 9. 2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), in sub-section (1), at the end of the proviso, for full stop colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification, exempt any instrument or class of instruments from the liability and payment of cess payable under this part.".

Repeal and saving. 3. (1) The Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (No. 2 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the prevailing circumstances and in view of the provision of the the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) and subsequent amendments, it became necessary to empower the State Government to exempt certain instruments or classes of instruments from the payment of this cess in the public interest, for administrative convenience, or under special circumstance. It is proposed to amend in Section 9 of the said Act suitably.

2. As the matter was urgent and the Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (No. 2 of 2026) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.

3. Hence this Bill.

Bhopal: JAGDISH DEVDA

Dated the 18th JULY, 2026 *MEMBER-IN-CHARGE.*

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12576—मप्रविस—16—विधान—2026.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२६

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ६ में, उप-धारा (१) में, परन्तुक के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी लिखत या लिखतों के वर्ग को, इस भाग के अधीन देय उपकर की देयता और भुगतान से छूट प्रदान कर सकेगी."

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (क्रमांक २ सन् २०२६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्यमान परिस्थितियों में तथा मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) के उपबंध तथा पश्चातवर्ती संशोधनों की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा के लिए या विशेष परिस्थितियों के अधीन लोकहित में उपकर के भुगतान से कतिपय लिखत या लिखतों के वर्गों को राज्य सरकार को छूट प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक हो गया है. उक्त अधिनियम की धारा ६ में यथोचित रूप से संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव; मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (क्रमांक २ सन् २०२६) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १८ जुलाई, २०२६.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७(३) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश उपकर, अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) के उपबंध तथा पश्चात्वर्ती संशोधनों की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा के लिए या विशेष परिस्थितियों के अधीन लोकहित में उपकर के भुगतान से कतिपय लिखत या लिखतों के वर्गों को राज्य सरकार को छूट प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक हो गया था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएवः मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (क्रमांक २ सन् २०२६) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.